सन

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)

कैम्प– पंचायत समिति जवाजा

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 10 / 2020

1– श्री पूरा बालिग पुत्र धूला
2– उदा बालिग पुत्र रूपा
3– गणपतसिंह बालिग पुत्र देवा पुत्र रूपा
4– चेतनसिंह बालिग पुत्र देवा पुत्र रूपा
5– श्रीमति कमला धर्मपत्नि स्व0 देवा पुत्र रूपा
6– सौभागसिंह बालिग पुत्र वजीरसिंह
7– गोपालसिंह बालिग पुत्र सुरेन्द्रसिंह पुत्र वजीरसिंह
8– श्रीमति भंवरी पत्नि सुरेन्द्रसिंह पुत्र वजीरसिंह
9– श्रीमति शकुन्तला धर्मपत्नि आनन्दसिंह पुत्र वजीरसिंह
10– भगवानसिंह बालिग पुत्र वजीरसिंह
11– कालू बालिग पुत्र लालसिंह
12– श्रीमति बदामी बैवा मिठूसिंह
13– रणजीतसिंह पुत्र मिठूसिंह
14– महावीरसिंह पुत्र मिठूसिंह
15– मंगलसिंह बालिग पुत्र प्रेमसिंह
16– जोरावरसिंह बालिग पुत्र प्रेमसिंह
17– अजयकुमारसिंह बालिग पुत्र प्रेमसिंह
18– बलवीरसिंह बालिग पुत्र प्रेमसिंह
समस्त जाति रावत निवासी गांव अनाकर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
19– भरतसिंह बालिग संग्रामसिंह जी राजपूत
20– विकाससिंह बालिग पुत्र संग्रामसिंह राजपूत
21– श्रीमति मीना बालिग पुत्र संग्रामसिंह राजपूत
22– श्रीमति सुमित्रा बालिग पुत्री संग्रामसिंह राजपूत
23– श्रीमति रेणुका बालिग पुत्री संग्रामसिंह राजपूत
24– श्रीमति रूकमा बैवा संग्रामसिंह जी राजपूत
समस्त निवासीयान ग्राम अनाकर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

–––––प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर जिला–अजमेर
2– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक जिला–कलेक्टर अजमेर जिला–अजमेर राज.

–––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 21–08–2020

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सांराशतः कथन किये है कि वाकै अनाकर पटवार हल्का अनाकर तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 1015 रकबा 01–02–10 किस्म बारानी–2 उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आने जाने व काश्त की सामग्री लाने ले जाने के लिये रेकार्डेड कोई रास्ता वर्तमान में मौजुद नही है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि के उत्तर में पूर्व में सरकारी बंजर भूमि खसरा नंबर 988 रकबा 00–12–10 किस्म बारानी–2 व खसरा नंबर 996 रकबा 00–02–16 चट्टान की भूमि स्थित चली आ रही है व उसके आगे आम रास्ता स्थित है तथा प्रार्थना पत्र साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अ ब स एंव द दर्शाया गया है, जिसमें प्रार्थीगण व उसका परिवारजन अपनी खातेदारी

..............लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

की उक्त आराजी में गत 70 सालो से बिना किसी बाधा व रूकावट के आ जा रहे है एव साथ ही उसके कृषि वाहन भी आ जा रहे है किन्तु रेकार्डेड रास्ता तरमीम न होने से प्रार्थीगण को काफी विवादों का सामना करना पडता है क्योंकि उक्त भूमि सरकारी होने के कारण गांव के अतिक्रमियों द्धारा अतिकमण करने व निर्माणात करने पर आमादा फिसाद रहते है एवं प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ ब्लेकमेल करते रहते है। जिसके विषय में प्रार्थीगण कई मर्तबा तहसीलदार ब्यावर को लिखित में शिकायत करके लोगो द्धारा अवेध निर्माणात करने से रूकवाया गया किन्तु फिर भी लोग मान नही रहे है व ऐनकेन प्रकारेण सरकारी भूमि को हडप कर उसमें पक्का निर्माण करके प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के एकमात्र रास्ते को सदा सर्वदा के लिये बन्द कर देना चाहते है। इस हेतू अतिक्रमियों ने निर्माण सामग्री भी डाल दी है व अवेध निर्माणात करने पर आमादा फिसाद हो रहे है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने हेतू खसरा नंबर 996, 988 में से 30 फीट चौडाई की भूमि रास्ते के लिये आवश्यक है, उसका वे अप्रार्थीगण को बाजार भाव से या माननीय न्यायालय द्धारा जो भी कीमत तय की जावेगी भूमि की कीमत की राशि का भुगतान करने के लिये तैयार व तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 05.06.2020 को माननीय न्यायालय के आदेश के अभाव में रास्ता देने से इन्कार कर दिया इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू भूमि खसरा नंबर 996, 988 में 30 फीट का रास्ता आवागमन हेतू दिलाया जावे जितनी भूमि रास्ते की ऐवज में आये उसकी न्यायोचित कीमत निर्धारित की जाकर प्रार्थीगण से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिलाई जावे तथा रास्ता को रेवेन्यू रेकार्ड में पृथक नंबर डाला जाकर रास्ता दर्ज किया जावे राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को माननीय न्यायालय द्धारा निर्धारित किये जाने वाले रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर प्रार्थीगण के कब्जे में रास्ता निर्माण हेतू दिलाई जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि स्वंय तथा अधिनस्थ अधिकारी ग्राम पंचायत अनाकर की अनुशंषा/प्रस्ताव के आधार पर उक्त खसरा नंबर 996, 988 को सरकारी भूमि से आबादी में परिवर्तित नही करे व ना ही करावे साथ ही अप्रार्थीगण को आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे की उक्त भूमि खसरा नंबर 996, 988 पर हो रखे किये जा रहे पक्के निर्माणात को रोका जाकर हुये निर्माणात को ध्वस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार ब्यावर द्धारा उनके पत्रांक राजस्व/1273 दिनांक 20.08.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किये है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1015 में आने जाने के लिये 5 फीट का मुख्य सडक से घनी आबादी में स्थित खसरा नंबर 988, 996 में होकर रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1015 से लगता हुआ खसरा नंबर 1034 सिवायचक भूमि में करीब 5–7 बीघा जमीन पर पक्के मकानात व चार दीवारी पत्थरो से निर्मित कर मकानात एंव बाडे बनाकर कब्जा कर रखा है। लेकिन धारा 251 ए के माध्यम से खातेदारी भूमि के रास्ते का बहाना बनाकर पक्के मकानात पर जाने के लिये 30 फीट का रास्ता लेना चाहते है एंव मुख्य सडक से 30 फीट के रास्ते का चाहा गया है। प्रार्थी के पुत्र स्वंय अतिक्रमी है। सिवायचक खसरा नंबर 988 में चार दुकानो का निर्माण हो रखा है व नजरी नक्शे के अनुसार आराजी खसरा नंबर 988 के चार दुकाने क्रमशः 1, 2, 3, 4 पश्चिम से पूर्व की और बनी हुई है तथा दुकान संख्या 2 व 3 के मध्य 11 फीट जगह खाली पडी है तथा दुकान संख्या 4 व धीरासिंह के मकान के मध्य 5 फीट का रास्ता है। जिसको प्रार्थी आने जाने हेतु काम में ले रहा है। प्रार्थी की खातेदारी मे जाने हेतू 2 व 3 दुकान के मध्य खाली पडी जगह को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर उपयोग

........................लगाया

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

मं लिया जा सकता है। आस पास में पक्के मकानात बने हुये है, उक्त वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में लगभग 11 फीट चौडा होकर मौके पर रिक्त है। भूमि आबादी से लगती हुई सिवायचक भूमि है। मौके पर चाहे गये रास्ते पर पक्के मकानात एंव दुकाने निर्मित है, जिनको ध्वस्त करने के उपरान्त ही लम्बाई चौडाई एंव कुल रकबे का आकलन किया जाना संभव है अर्थाता चाहा गया रास्ता विवादित है।

प्रकरण केम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री पंकज जी गादिया स्वंय उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की बहस में मौखिक कथन किये कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतू रास्ता नही होने से रास्ता दिया जावे जिस बाबत डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। परोकार सरकार तहसीदार ब्यावर मय पटवारी हल्का ने बहस में कमोवेश अपने मौखिक एंव रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये है कि प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतू खसरा नंबर 988, 996 में वर्तमान में लगभग 11 फीट होकर मौके पर रिक्त है जो प्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दिया जाना उचित है।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम अनाकर पटवार क्षेत्र अनाकर की प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 93 अनुसार प्राथीगण खसरा नंबर 1015 रकबा 01–02–10 किस्म बा.2 संयुक्त खातेदार दर्ज होना पाये गये। इसी प्रकार प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 1 अनुसार खसरा नंबर 996 रकबा 00–02–10 किस्म चट्टान, ख.नं. 988 रकबा 00–12–10 किस्म बा.2 पहाडिया और पर्वत वंजर भूमि दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस पेश किया है। फोटो कॉपी मौका पर्चा दिनांक 10.01.2020 प्रस्तुत किया गया जिसमें नरेन्द्रसिंह व महेन्द्रसिंह द्धारा सरकारी भूमि खसरा नंबर 988 रकबा 00–12–10 पर मकान निर्माण आदि करने पर कार्य रूकवा कर उन्हें निर्माण नहीं किये जाने बाबत् पाबंद बाबत रिपोर्ट बनाई गई। फोटो कॉपी मौका पर्चा दिनांक 03.03.2020 में भी सरकारी भूमि खसरा नंबर 988 में लगभग 10 फीट का रास्ता छोडा गया तथा अतिक्रमियो को अतिक्रमण नही करने की हिदायत दी गई। फोटो कॉपी मौका पर्चा दिनांक 22.5.2020 में प्रार्थी राजू पुत्र पूरण को अवगत कराया गया कि खसरा नंबर 988, 996 का आबादी विस्तार हेतू पूर्व में प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है जो आदिनांक तक आबादी परिवर्तन हेतु प्रतिक्षारत है तथा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी पूरण द्धारा तहसीलदार ब्यावर व उपखण्ड अधिकारी ब्यावर एंव जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी भूमि खसरा नंबर 988, 996 को आबादी में रूपान्तरित नही करने बाबत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है। मौके के छाया चित्र प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एंव तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु राजकीय भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त भी उक्त राजकीय भूमि पर आए दिन अतिक्रमण के मामले सामने आते हैं जो प्रस्तुत मौका पर्चा में उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अनाकर पटवार हल्का अनाकर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवाता तहसील ब्यावर स्थित प्रार्थी के खसरा संख्या 1015 रकबा 01–02–10 किस्म बा.2 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 996 रकबा 00–02–10 किस्म चट्टान व खसरा संख्या 988 रकबा 00–12–10 किस्म बा.2 में से 10 फीट चौड़ाई व खसरा संख्या 1015 तक पहुंचने तक की लम्बाई का रास्ता रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त लम्बाई व चौड़ाई अनुसार

............................लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलेक्टर

प्रभावित रकबे का वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार ब्यावर द्वारा गणना की जावे तथा प्रार्थी उक्तानुसार संबंधित खातेदार को उक्त राशि का नियमानुसार भुगतान करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि में से रास्ते की भूमि का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रभावित भूमि में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा संबंधित खातेदारान के हिस्से में यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। **यह आदेश प्रार्थी द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान अप्रार्थी को अदा किये जाने के पश्चात् लागू होंगे।** उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 21–08–.2020 को कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(श्वेता चौहान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर